कार्यालय जिला पंचायत उन्नाव।

पत्रॉकः 09 /बालू,रेंत/जि0 पं0/2018–19 दिनांकः 07/2/2019

बालू,रेंत व अन्य खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु ई– निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत बहने वाली नदियों/खारों के तट से निकलने वाली बालू,रेंत व अन्य खनिजों को एकत्रित करने व उसे जिले से बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले वाहनो से परिवहन शुल्क/तहबाजारी वसूली हेतु उद्गम स्थलों की नीलामी वर्ष 2019–20 (दिनांक:01.4.2019 से 31.3.2020 तक) के लिये दि0 19.02.2019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक ई– निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा वेबसाइड http/etender.up.nic in पर दिनांकः 08.2.2019 को अपरान्ह 4:00 बजे से दिनांकः 19.2.2019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक डाऊनलोड (प्राप्त)/अपलोड (डाले) जा सकते है। ई–निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 20.02.2019 को समय 12:00 बजे अपरान्ह से अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी।तत्पश्चात मान्य तकनीकी ई–निविदाओं की वित्तीय विड खोली जायेगी।निविदादाता को निविदा http/etender.up.nic in पर अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी निविदा के साथ ई– निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार कार्यालय जिला पंचायत उन्नाव के सील्ड बाक्श में दिनांकः 19.2.2019 के अपरान्ह 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता की ई–निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

ई– निविदा फार्म शुल्क रू0 5000.00(मु0 पॉच हजार मात्र) ई– निविदा फार्म का मूल्य +1% GST+1%SGST कुल रू0 5100.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उन्नाव के पद नाम से देय होगा। जो टेक्निकल बिड के साथ देना होगा। उपरोक्त ई– निविदा के सम्बंध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में की जा सकती है तथा ई–टेंण्डरिंग पोर्टल htt/etender.up.nic in पर ई–निविदा की शर्ते देखी जा सकती है।

1– खनन स्थल का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	तहसील का नाम	स्थल
1	2	3
1	तहसील सदर	1– कटरी बदरका तुर्किया 2–कटरी हरिहर पुर एहतमाली 3–कटरी परियर 4–कटरी पीपर खेडा(खण्ड अ) 5–कटरी पीपर खेडा (खण्ड ब)
2	सफीपुर	1– औरंगाबाद
3	बीघापुर	1–कटरी बक्सर 2–कटरी भगवन्त नगर 3–मानपुर एहतमाली 4–सेढूपुर
4	बॉगरमऊ	1–कटरी पनका

2– परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली दरें निम्नवत् हैः–

1	पशुओं द्वारा खीचे जानी वाली गाड़ी	रू0 10.00 प्रति फेरी
2	मानव चालित नाव	रू0 20.00 प्रति फेरी
3	ट्रैक्टर ट्राली	रू0 50.00 प्रति फेरी
4	ट्रक	
	(क) मिनी ट्रक(लाईट गुडस विहिकिल्स)	रू0 100.00 प्रति फेरी
	(ख) ट्रक(लाईट गुडस बिहिकिल्स 06 चक्का)	रू0 150.00 प्रति फेरी
	(ग) भारी ट्रक (हैवी गुडस विहिकिल्स 10चक्का या अधिक)	रू0 200.00 प्रति फेरी

नोटः–उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त जनपद क्षेत्रान्तर्गत जिला प्रशासन/खनन विभाग द्वारा अन्य चयनित/अनुमोदित स्थलों पर भी वसूली की जायेगी।

(वी0 के0 सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत उन्नाव।

(संगीता सिंह सेंगर)
अध्यक्ष
जिला पंचायत उन्नाव।

कार्यालय– जिला पंचायत उन्नाव।

बालू, रेंत व अन्य खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु

नियम व शर्तेः–

1– जिला पंचायत उन्नाव के किसी बकायेदार ई– टेण्डरिग में भाग लेने का अधिकारी नही होगा।

2– जिला पंचायत के पदाधिकारियों के निकटस्थ सगे सम्बंधी जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 54 में परिभाषित सम्बंधितों को ई– टेंण्डरिंग में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

3– टेंण्डरदाता को टेंण्डर प्रकिया में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि रू0 5.00लाख (मु0पांच लाख) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उन्नाव के नाम से देय होगा।

4– टेंण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वाले टेंण्डरदाता को सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण –पत्र हैसियत प्रमाण –पत्र, पैनकार्ड एवं आधार कार्ड की छयाप्रति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा –54 में परिभाषित जिला पंचायत उन्नाव के अध्यक्ष/माननीय सदस्य एवं अधिकारी/कर्मचारी के सगे सम्बंधी न होने का शपथ पत्र एवं जिला पंचायत उन्नाव द्वारा जारी ठेकेदारी लाईसेंस रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5– अधिकतम टेण्डरदाता को नीलाम धनराशि रू0 1.00 करोड तक होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। इससे ऊपर की शेष धनराशि को 02 समान किश्तों में जमा करना होगा। जिसकी प्रथम किश्त 30 जून तक व द्वितीय किश्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा।किश्त जमा नकरने पर ठेका निरस्त कर एवं जमा धनराशि जप्त कर ली जायेगी एवं ठेका छोडने से पुनः नीलामी में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है। तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

6– सक्षम अधिकारी से टेण्डर सवीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को तत्समय निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराना होगा।

7–ठेकेदार को निर्धारित शुल्क के अनुसार ही वसूली करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक दर से वसूली नही करेंगा। यदि ऐसा पाया गया तो उसकी जमा सम्पूर्ण धनराशि जप्त कर पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

8– ठेकेदार को जिला पंचायत से उपलब्ध मुद्रित कमॉक युक्त प्रमाणित रसीद पर ही शुल्क वसूली करना होगा। जिसे ठेकेदार रसीद मूल्य जमाकर जिला पंचायत से प्राप्त करेगा। तथा प्रयुक्त रसीद बहियों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत में वापस जमा करना अनिवार्य होगा।

9– ठेका स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत में निहित होगा।

10– ठेकेदार द्वारा वसूली स्थल पर सहज सदृश्य स्थल पर **4x6** साइज का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

11–शासनादेशानुसार उपरोक्तखनिज परिवहन करने वाले वाहनों से ठेकेदार द्वारा केवल उद्गम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी की वसूली की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग,राष्ट्रीय मार्ग, मुख्य मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बिना बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर वसूली नहीं की जायेगी।

12– ठेकेदार द्वारा वसूली स्थल पर पर्याप्त सफाई, पेय जल व रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

13– गंगा नदी से निकलने वाली बालू,मिट्टी के परिवहन पर राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अंशकालिक रोक लगने पर ठेके की सम्पूर्ण धनराशि में कोई छूट अनुमन्य नही होगी।

14– ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिको की अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जायेगा। जिसमें उन कार्मिको को प्रदर्शित करना होगा, शुल्क वसूली में लगये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बंधित पुलिस थाने को उपलब्ध करायी जायेगी।

15– जिला पंचायत के किसी आदेश/निर्देश अथवा उपविधि/शर्तनामें की किसी भी घारा का उलंघन करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित ठेकेदार का होगा।

16– समय–समय पर राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत स्तर से जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना सर्वोच्च टेंण्डरदाता की बाध्यता होगी।

17– **खनन स्थल निम्नवत् है:–**

क्र0 सं0	तहसील का नाम	स्थल
1	2	3
1	तहसील सदर	1– कटरी बदरका तुर्किया 2– कटरी हरिहर पुर एहतमाली 3–कटरी परियर 4– कटरी पीपर खेडा(खण्ड अ) 5– कटरी पीपर खेडा (खण्ड ब)
2	सफीपुर	1– औरंगाबाद
3–	बीघापुर	1– कटरी बक्सर 2– कटरी भगवन्त नगर 3– मानपुर एहतमाली 4– सेढूपुर
4–	बॉगरमऊ	कटरी पनका

18– खनिज की उपलब्धता/लीज के अनुसार खनिज स्थलों की संख्या जिला खनन अधिकारी उन्नाव से प्राप्त सूची के अनुसार घटायी व बढाई जा सकती है। उपविधि में प्राप्त अधिकार के तहत अथवा शासन से प्राप्त मार्ग दर्शन/निर्देश के अनुसार व पंचायत हित में खनन स्थलों की संख्या घटाने व बढाने एवं स्थल परिवर्तन का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उन्नाव में निहित होगा।

19– परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली दरें निम्नवत् है:–

1–	पशुओं द्वारा खीचे जानी वाली गाडी	रू0 10.00 प्रति फेरी
2–	मानव चालित नाव	रू0 20.00 प्रति फेरी
3–	ट्रैक्टर ट्राली	रू0 50.00 प्रति फेरी
4–	ट्रक	
	(क) मिनी ट्रक(लाईट गुडस विहिकिल्स)	रू0 100.00 प्रति फेरी
	(ख) ट्रक(लाईट गुडस विहिकिल्स 06 चक्का)	रू0 150.00 प्रति फेरी
	(ग) भारी ट्रक (हैवी गुडस विहिकिल्स 10चक्का या अधिक)	रू0 200.00 प्रति फेरी

पृ0 सं0 एवं दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ को अवलोकनार्थ।

2– मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत उन्नाव को अवलोकनार्थ।

3– जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को अवलोकनार्थ।

4– पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।

5– मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।

6– अपर जिलाधिकारी(वि/रा0) उन्नाव।

7– विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को न्यूनतम स्थान व शासकीय दर पर प्रकाशित करते हुये बिल व समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रेषित करे।

8– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0 आई0 सी0 कलेक्ट्रेट, उन्नाव को बालू मिट्टी के परिवहन की वसूली नीलाम सूचना की सी0 डी0 सहित इस आशय प्रेषित कि शासन के निर्देशानुसार उक्त ई–निविदा जनपद उन्नाव की वेबसाइट http/etender.up.nic in पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत उन्नाव।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, उन्नाव